कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0 25 / 2018—19

श्री रोहन कुमार रजक,
पिता स्व0 अमृत धोबी,
ग्राम पुरनानगर, थाना तिलैया,
जिला कोडरमा।

25/08/18

आवेदक श्री रोहन कुमार रजक पिता— स्व0 अमृत धोबी, साकिन पुरनानगर, थाना व जिला कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा— चन्दोडीह, थाना नं0 290 के अन्दर खाता नं0 17 / 33, प्लॉट नं0 609 / 15, रकबा 1.00 ए0 भूमि मेरे पिता स्व0 अमृत धोबी के पिता का नाम गलती से स्व0 लालो धोबी ऑनलाईन में दर्ज हो गया है जबकी सही नाम पुना धोबी है, आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि मेरे परदादा का नाम ऑनलाईन मे पुना धोबी सुधार किया जाय।

अतएव उक्त भूमि के संबध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 24/09/18 को उपस्थापित करें।

25/08/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

24/09/18

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। आवेदक द्वारा अपने दावे के सम्बन्ध मे निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किया गया है।

1. ग्राम आम पंचायत का मूल प्रति।
2. ऑनलाईन खातियान का छायाप्रति।
3. शपथ पत्र संख्या 50 दिनांक 15.06.2018 का छायाप्रति।
4. ऑनलाईन पंजी ।। का छायाप्रति।

हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा चन्दोडीह के खाता नं0 17 / 33 प्लॉट नं0 609 / 15 रकबा 1.00 ए0 भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि जो अमृत धोबी पिता लालो धोबी के नाम से बन्दोबस्ती पर्चा द्वारा प्राप्त है, जिसका बन्दोबस्ती पर्चा द्वारा प्राप्त है, जिसका बन्दोबस्ती केश नं0 01 / 1971—72 चालु पंजी ।। के पृष्ठ सं0 23 / 3 पर अमृत धोबी पिता लालो धोबी के नाम से जमाबंन्दी कायम है। जिसका खाता नं0 17 / 33 रकवा 1.00 ए0 है।

आवेदक के कथनानुसार अमृत धोबी के पिता का नाम पुना धोबी है, जो गलती से बन्दोबस्ती में पिता का नाम लालो धोबी कर दिया गया है, आवेदक द्वारा ग्रामीण जनता का ब्यान दर्ज कराया है कि अमृत धोबी के सही पिता का नाम पुना धोबी है।

मेरे द्वारा स्थानीय जाँच एवं ग्रामीणों से पुछ—ताछ से पता चला कि अमृत धोबी के पिता का सही नाम पुना धोबी है।

हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजात एवं अवलोकन किया गया।

हल्का कर्मचारीक / अंचल निरिक्षक के प्रतिवेदन एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजात एवं ग्राम पंचायत पुरनानगर के मुखिया द्वारा किया गया अनुशंसा के आधार पर मौजा चन्दोडीह के खाता नं0 17 / 33 प्लॉट नं0 609 / 15 रकवा 1.00 ए0 भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। के पृष्ठ सं0 23 / 3 पर अमृत धोबी पिता लालो धोबी के नाम से जमाबन्दी कायम है, को ऑनलाईन भाग सं0 03 पृष्ठ सं0 23 मे सुधार कर अमृत धोबी पिता पुना धोबी करने की [illegible] दी जाती है।

24/09/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Scanned with CamScanner